न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिह पुरोहित (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 423 सन 2019
अनवान :–

1. लिच्छीराम पुत्र बनाराम उर्फ बुना जाति जाट निवासी सिरगसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. बनाराम उर्फ बुना पुत्र गणपत जाति जाट निवासी सिरगसर तहसील नोहर
2. जगदीश प्रसाद 3. घडसीराम पि0 बनाराम उर्फ बुना जाति जाट साकिन सिरगसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. रेशमीदेवी 5. चन्द्रकला पुत्रीयान बनाराम उर्फ बुना जाति जाट साकिन सिरगसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 29/08/2019

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा सिरगसर के खाता संख्या 59/525 के खसरा 240 की 5.7300हैक , खसरा न0 249 की 2.1510हैक खरा न0 291 की 10.5880हैक , सिरा न0 292 की 3.4150हैक खसरा न0 306 की 4.8200हैक कुल 26.7040हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा गणपतराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा गणपतराम का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके दोनो पुत्रों के नाम से दर्ज हुई जिन्होने आपसी सहमति से खाता विभाजन करवाने पर रोही मौजा सिरगसर के खाता संख्या 59/525 की कुल 26.7040हैक भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के हिस्से में आई है।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा गणपतराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है पैतृक सम्पति में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 4 ,5 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4 ,5 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 चारों बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

Scanned with CamScanner

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 चारो के नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ,5 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा सिरगसर के खाता संख्या 59/525 की कुल 26.7040हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा गणपतराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा गणपतराम का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्रों के नाम से दर्ज हुई जिसमें रोही मौजा सिरगसर के खाता संख्या 59/525 की कुल 26.7040हैक भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के हिस्से में आई है।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा गणपतराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है पैतृक सम्पति में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 4 ,5 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4 ,5 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा पेश किया जा चुका है पेरोकार राज ने भी वादी के वाद के सम्बध में कोई आपत्ति नही की गई है वादी के वाद के सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज पेश नही हुआ है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सिरगसर के खाता संख्या 59/525 की कुल 26.7040हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा गणपतराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा गणपतराम का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्रों के नाम से दर्ज हुई जो प्रस्तुत जमाबन्दी /पर्चा खतौनी से पूर्णत्या साबित है।

वाद भूमि वादी के दादा गणपतराम के देहान्त होने पर विरास्तन से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या– 1 के नाम से दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वय उपस्थित होकर वादी के वाद को

Scanned with CamScanner

स्वीकार किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है।

वादी का कथन है प्रतिवादी संख्या 4 ,5 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा का त्याग किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ,5 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सिरगसर के खाता संख्या 59/525 की कुल 26.7040हैक्ट भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 चारों बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 29/07/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुरेन्द्र सिह पुरोहित (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. लिच्छीराम पुत्र बनाराम उर्फ बुना जाति जाट निवासी सिरगसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 बनाराम उर्फ बुना पुत्र गणपत जाति जाट निवासी सिरगसर तहसील नोहर
2. जगदीश प्रसाद 3. घडसीराम पि0 बनाराम उर्फ बुना जाति जाट साकिन सिरगसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. रेशमीदेवी 5. चन्द्रकला पुत्रीयान बनाराम उर्फ बुना जाति जाट साकिन सिरगसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 423 सन 2019 निर्णय दिनांक– २१/८/१९

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सिरगसर के खाता संख्या 59/525 की कुल 26.7040हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 चारों बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक २१/०८/२०१९ को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner